



2026:AHC-LKO:41471-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5649 वर्ष 2026

दिव्यांश @ सुनील चतुर्वेदी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता	: अजय वीर सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), अनुभव अवस्थी, मनोज कुमार मिश्रा, पंकज कुमार, विनायक तिवारी

न्यायालय कक्ष सं. - 2माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानियामाननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"I. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.05.2026, जो केस क्राइम संख्या 365 वर्ष 2026 के रूप में धारा 115(2), 109(2), 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या में पंजीकृत है, को निरस्त किए जाने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 01 के रूप में संलग्न है।

II. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.05.2026, जो केस क्राइम संख्या 365 वर्ष 2026 के रूप में धारा 115(2), 109(2), 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या में पंजीकृत है, के संबंध में की जा रही कार्यवाही/निष्क्रियता पर रोक लगाने हेतु रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 01 के रूप में संलग्न है।"

3. "आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उसमें लगाए गए आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का गठन होता है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।"

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य :** 2024 आई.एन.एस.सी. 772 के मामले में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“18. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समस्त आरोपों का विश्वकोश नहीं होती। अतः यह परखने के लिए कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट होता है अथवा नहीं, आरोपों में किसी लोप को नहीं, बल्कि उसमें निहित आरोपों के मूल सार को देखा जाना आवश्यक है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ है अथवा नहीं। इस स्तर पर न्यायालय से यह निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं की जाती कि कौन-सा विशिष्ट अपराध कारित किया गया है। यह केवल विवेचना के उपरांत, आरोप निर्धारित किए जाने के समय, जब विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हो, तब न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि अभियुक्त को किस अपराध के कारित किए जाने के लिए विचारण का सामना करना चाहिए। उससे पूर्व भी, यदि न्यायालय संतुष्ट हो, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। अतः जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की ओर से बेईमानी पूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया हो, जो यदि उपलब्ध सामग्री से समर्थित होता है, तो संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट करता हो, वहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके विवेचना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।”

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमजीत मल्लिक (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने का प्रकटीकरण होता है, तब यह देखने के लिए कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अथवा नहीं, प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों के मूल सार पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस स्तर पर न्यायालय से यह निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं की जाती कि कौन-सा विशिष्ट अपराध कारित किया गया है। अतः जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की ओर से किसी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने का आरोप लगाया गया हो, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके विवेचना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

6. अन्यथा भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 लाइव लॉ (एस सी) 1170 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, वहाँ उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

7. सुविधा की दृष्टि से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय कुमार गुप्ता (उपर्युक्त) के मामले में की गई टिप्पणियाँ, जो पैरा 6 एवं 7 में निहित हैं, निम्नवत् उद्धृत की जाती हैं:-

“6. उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने हेतु अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तथापि अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् वर्तमान निजी प्रत्यर्थियों को आरोप-पत्र दाखिल किए जाने तक गिरफ्तारी से पूर्ण संरक्षण प्रदान कर दिया। हमारे मत में, इस प्रकार का निर्देश मामले की विवेचना के लिए गंभीर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ऐसे निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क है और न ही कोई युक्तिसंगत आधार।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के उपबंध लागू हैं। अतः किसी अपराध का अभियुक्त, यदि ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसे प्रथम दृष्टया सक्षम सत्र न्यायालय के समक्ष उचित उपचार हेतु प्रस्तुत होना होगा। आपराधिक रिट याचिका में कार्यवाही को निरस्त करने संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करते हुए गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का अनुतोष प्रदान करना पूर्णतः अस्वीकार्य एवं विधि-विरुद्ध है, जैसा कि इस न्यायालय ने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 एस.सी.सी. 401 के मामले में अभिनिर्धारित किया है:-

“22. जैसा कि इस न्यायालय ने हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एस.सी.सी. 453 : (2014) 2 एस.सी.सी. (सीआरआई) 363 के मामले में अभिनिर्धारित किया है, यद्यपि उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, तथापि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्याय के विफल होने से रोकने तथा प्राधिकारियों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी-पूर्व शक्ति का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किए जाने से विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को दो हितों के बीच संतुलन स्थापित करना अपेक्षित है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी शक्ति का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उदारतापूर्वक प्रयोग न किया जाए, जिससे वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत कार्यवाही के रूप में परिवर्तित हो जाए। दूसरी ओर, जब भी उच्च न्यायालय यह पाता है कि किसी मामले में गिरफ्तारी-पूर्व संरक्षण प्रदान न किया जाना न्याय का घोर विफल होना होगा तथा विचारण लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बनता है, तब उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत की प्रकृति का अनुतोष प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा; तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में विरल रूप से किया जाना चाहिए, जहाँ ऐसा करना पूर्णतः आवश्यक एवं न्यायोचित हो। तथापि, गिरफ्तारी न किए जाने अथवा 'कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किए जाने' संबंधी ऐसा व्यापक अंतरिम आदेश यांत्रिक रूप से और नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता।

23. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को निरस्त किए जाने की याचिकाओं को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत खारिज करते समय, तथा यह मत व्यक्त किए जाने के बावजूद कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत को निरस्त किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है, अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल किए जाने तक और/या विवेचना के दौरान गिरफ्तारी न किए जाने अथवा विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश पारित करने अथवा 'कोई बलपूर्वक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्रवाई न किए जाने' का आदेश देने का प्रश्न है, तो ऐसा आदेश पूर्णतः

अस्वीकार्य एवं विधि द्वारा अनुमन्य नहीं है।”

8. इसके अतिरिक्त, हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अकम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, 2026 आई.एन.एस.सी 362** के मामले में यह सिद्धांत पुनः प्रतिपादित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालयों से साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करने अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता के संबंध में विस्तृत जांच-पड़ताल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ आरोपों को उनके मूल रूप में स्वीकार करने पर उनसे किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट होता है, वहाँ विवेचना को उसके प्रारंभिक चरण में ही बाधित नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रारंभिक अवस्था में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है, सिवाय ऐसे अपवादात्मक मामलों के, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सुस्थापित मापदंडों के अंतर्गत आते हों।

9. तदनुसार, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **संजय कुमार गुप्ता** (उपर्युक्त), **सोमजीत मल्लिक** (उपर्युक्त), **मुस्कान** (उपर्युक्त) तथा **अकम्मा सैम जैकब** के मामलों में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर विचार करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है। अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

10. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 18 जून, 2026

हसीनुद्दीन/

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।